

4.3.25.

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित।
वादी अधिवक्ता का कूक-कूककर कई बार ऊँचों
लगवाई गई बावजूद इसके कई प्रौ-न्यायालय समय
समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ है। जिससे
जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर
नहीं है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5
के तहत अदम दायरी. अदम पैरवी में खारिज
रखा जाता है। निर्णय खेडजलास सुनाया गया।
प्रकरण फैतल शुदा होबा मखर से डम हो।

(सोनिष कुमारी)

PS